न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण सख्या 246 / 2021(2021 / 536)

छोटूलाल पुत्र स्व लालाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–

1. अशोक कुमार पालीवाल–वकील प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

–:: आदेश ::– दिनांक– 12.03.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। वादी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है

वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर के जमाबंदी सवत् 2072–76 के खाता नंबर 32 मे खाताधारान के नाम पर कम सख्या 3 पर नाबालिग धनराज पुत्र संरक्षक सरपरस्त माता गीता तथा खाता नं. 33 मे खातेदारान के नाम कम संख्या 2 पर नाबालिग धनराज पुत्र लालाराम संरक्षक सरप्ररस्त गीता का नाम दर्ज है जिसमे प्राथी वादी का नाम छोटूलाल पुत्र स्व. लालाराम बैरवा है जिसे राजस्व रिकॉर्ड मे धनराज पुत्र लालाराम के स्थान पर छोटूलाल पुत्र लालाराम दर्ज किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार फरमावे।

हमने पत्रावली को दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12.3.2022 को जवाब मय मौका रिपॉर्ट मे नकल जमाबंदी के पेश कि है जिसे सामिल पत्रावली की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे परिवर्तन बाबत् जमाबंदी 2072–76 के खाता नं. 32 मे कम संख्या 3 छोटूलाल का नाम धनराज एंव खाता संख्या 33 मे कंम संख्या 2 पर धनराज पुत्र स्व. लालाराम अंकित होना पाया जाता है प्रार्थी ने अपना नाम छोटूलाल पुत्र लालाराम बैरवा होने बाबत् अपने आधार कार्ड, प्राथमिक शिक्षा पुर्णत प्रमाण पत्र की अंक तालिका, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरण संख्या 345 दिनांक 22.10.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नामांन्तरण संख्या 250 दिनांक 22.10.2021 की प्रमाणित प्रति, वर्कींग जमाबंदी संवत् 2041 के नये खाता नंबर 71 की प्रमाणित प्रति, खाता संख्या 108 नकल जमाबंदी की फोटो प्रति आदि पेश किये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अंक तालिका व आधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम छोटूलाल पुत्र लालाराम बैरवा अंकित होना पाया जाने से वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम ग्राम मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर के हाल जमाबंदी के खाता संख्या 32 के कम संख्या 3 एवं खाता संख्या 33 मे कंम संख्या 2 पर धनराज पुत्र लालाराम का नाम छोटूलाल पुत्र लालाराम बैरवा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:35:03 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner